न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 48/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/33)

1. सन्तोष कुमारी पुत्री रोशन लाल पत्नी विशम्भरदास जाति – ब्राह्मण साकिन गुलेर तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ।
2. सुरेश कुमारी पुत्री रोशनलाल पत्नी मेहरचन्द जाति – ब्राह्मण साकिन गुलेर तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रोशन लाल जाति – ब्राह्मण साकिन गुलेर तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हाल आबाद चक 20 एमडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. सुमेर कुमार पुत्र रोशन लाल जाति – ब्राह्मण साकिन गुलेर तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हाल आबाद चक 20 एमडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत 17 एमडी–ए पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. श्योराम वर्मा उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री आनन्द बजाज – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 02.05.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना के प्रकरण संख्या 06/14 निर्णय दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सुरेन्द्र कुमार एवं सुमेर कुमार ने सरपंच ग्राम पंचायत 17 एमडी–ए का इन्तकाल सं. 110 दिनांक 06.05.2013 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी घड़साना मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को खारिज कर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.05.2017 द्वारा अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 110 दिनांक 06.05.2013 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार घड़साना को रिमाण्ड कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर नियमानुसार पुनः विधि पूर्वक निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि वाके चक 20 एमडी–ए का मु.नं. 03/51 तादादी 22.15 बीघा रकबा अपीलान्ट के पूर्वजो को बतौर पोगबांध विस्थापित आंवटित हुई थी। उक्त भूमि हिमाचल प्रदेश की पौगबांध डेम में आने से भूमि की एवज मे भूमि आंवटित हुई इस प्रकार पौगबांध डेम मे जो भूमि आई वो अपीलान्ट के पूर्वजो की थी व उसके वारिसान होने के आधार पर रोशनलाल के नाम दर्ज हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता रोशनलाल का स्वर्गवास दिनांक 29.01.2011 को हो गया, तत्पश्चात उनके वारिसान के नाम विरासतन इन्तकाल संख्या 110 दिनांक 06.05.2013 को विधि अनुसार तस्दीक किया जाकर दर्ज किया गया। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की खिलाफत करते हुए अपास्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन पत्रावली व जमाबन्दी वर्ष 1962–63 पर बिना गौर फरमाये व बिना कन्सीडर किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई थी, और मियाद बाबत कोई सन्तोषजनक कारण भी अंकित नही किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता की जांच किये बिना व बिना गौर फरमायें निर्णय जैर अपील निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। पैतृक सम्पति की वसीयत कानूनन नही की जा सकती है और न ही कथित वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का कोई राईट व टाईटल हासिल होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा विरासतन इन्तकाल संख्या 110 दिनांक 06.05.2013 को कायम रखा जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.09.1998 को रोशनलाल पुत्र गंगाधर को तहसील घड़साना चक 20 एम.डी.ए. का मु. नं. 03/51 रकबा 22.15 बीधा भूमि आवंटन पश्चात खातेदारी सनद जारी की गई। श्री रोशनलाल द्वारा अपने पुत्रो सुरेन्द्र कुमार व सुमेर कुमार के नाम उक्त मु. नं. 03/51 की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 09.02.2016 को कर दी गई। पत्रावली अनुसार श्री रोशनलाल की मृत्यु दिनांक 29.01.2011 को होना पाई गई। उक्त परिपेक्ष्य मे सरपंच द्वारा विरासतन नामान्तरकरण दर्ज किए जाने की बजाय तहसीलदार घड़साना द्वारा वसीयत के बिन्दु को निर्णित किया जाना था, जो कि नही किया गया। साथ ही हितबद्व पक्षकारान की विधिवत सुनवाई का भी अभाव पाया गया है। उक्त तथ्यो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2017 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2017 यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर